इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 519] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 20, शक 1934

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 25535-वि.स.-विधान-2012.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012) जो विधान सभा में दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३८ सन् २०१२

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, २०१२

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ को निरसित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) अधिनियम, २०१२ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''नियत दिन'' से अभिप्रेत है, धारा १ की उपधारा (२) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख;

(ख) ''निरसित अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००).

निरसन तथा व्यावृत्ति.

३. (१) नियत दिन को, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) निरसित हो जाएगा.

(२) इस निरसन से,—

(क) किसी अन्य अधिनियमिति पर, प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है;

अथवा

(ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता व दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो; अथवा

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात के परिणामों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(घ) इस प्रकार निरसित अधिनियम के विरुद्ध कारित किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; अथवा

(ङ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व के संबंध में किन्ही विधिक कार्यवाहियों या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां या उपचार इस प्रकार जारी रखे जा सकेंगे या प्रविर्तित किए जा सकेंगे मानों कि यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो.

(३) निरसन के या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या किसी संविदा में अंतर्विष्ट किसी बाद के होते हुए भी, नियत दिन को तथा से निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिताएं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएंगी तथा उक्त अधिनियम के उपबंध ऐसी सहकारिताओं को विनियमित करने हेतु लागू होंगे.

(४) निरसन के होते हुए भी, किसी भी प्रकृति की ऐसी समस्त संविदाएं, बंधपत्र, विलेख, करार और अन्य लिखतें जो नियत दिन को विद्यमान या प्रभावी हों, और जिनमें निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारिता एक पक्षकार हो, ऐसी तारीख से पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावशील होंगी.

(५) निरसन के होते हुए भी, निरसित अधिनियम के अधीन सहकारिता के निदेशक बोर्ड द्वारा बनाई गई उपविधियां और विनियम, जहां तक वे मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) और उसके अधीन बनाए गए, नियमों के उपबंधों से असंगत न हों, तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक कि वे मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन परिवर्तित या विखंडित न कर दिए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००), सहकारिता को स्वावलंब और परस्पर सहायता पर आधारित एक ऐसे लोकतांत्रिक उद्यम के रूप में प्रोन्नत और विकसित करने की दृष्टि से, जो कि सरकारी सहायता पर निर्भर न हो, अधिनियमित किया गया था. संविधान (सतानवेवां संशोधन) अधिनियम, २०११, १५ फरवरी, २०१२ को प्रवृत्त हुआ. संवैधानिक संशोधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए जा रहे है. इसके परिणामस्वरूप, राज्य अधिनियम में, प्रत्येक सहकारिता को, राज्य के आर्थिक विकास में इसके योगदान को सुनिश्चित करते हुए, समृद्ध बनाने और इसके सदस्यों और जनसामान्य के हितों को व्यापक रूप से पूरा करने और इसकी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक कार्यकरण तथा व्यावसायिक प्रबंध को सुनिश्चित करने के लिए, पर्याप्त उपबंध उपलब्ध हो जाएंगे. इस प्रकार मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० के विभिन्न उपबंधों को, संवैधानिक संशोधन में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुरूप संशोधित करने पर राज्य में एक समानान्तर अधिनियम अर्थात् मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ को बनाए रखा जाना अनावश्यक अनुभव किया गया. अतएव, उक्त अधिनियम को निरसित किया जाना प्रस्ताव है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ६ दिसम्बर, २०१२.

गौरीशंकर बिसेन
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 21, शक 1934

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 7984-375-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता (निरसन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 38 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 38 OF 2012

THE MADHYA PRADESH SWAYATTA SAHAKARITA (NIRSAN) VIDHEYAK, 2012

A Bill to repeal the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-third year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita (Nirsan) Adhiniyam, 2012.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "appointed day" means the date of commencement of this Act under sub-section (2) of Section 1.

(b) "repealed Act" means the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000).

Repeal and savings.

2.(1) On the appointed day, the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) shall stand repealed.

(2) The repeal shall not affect,—

(a) any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the Act so repealed; or

(c) the previous operation of the Act so repealed or consequences of any thing already done or suffered thereunder; or

(d) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the Act so repealed; or

(e) any legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and any such legal proceedings or remedy may be continued or enforced as if this Act had not been passed.

(3) Notwithstanding the repeal or anything contained in any law for the time being in force or in any contract, on and from the appointed day, the cooperatives registered under the repealed Act shall be deemed to registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) and the provisions of the said Act shall be applicable for regulation of such cooperatives.

(4) Notwithstanding the repeal, all contracts, bonds, deeds, agreements and other instruments of whatever nature subsisting or having effect on the appointed day and wherein the co-operative registered under the repealed Act is a party shall from such date of full force and effect.

(5) Notwithstanding the repeal, the bye-laws and regulations made by the Board of Directors of the Cooperative under the repealed Act shall in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (NO. 17 of 1961) and the rules made thereunder, continue in force until altered or rescinded under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 (No. 2 of 2000) was enacted with a view to promote and develop co-operative as democratic entrepreneur based on self help and mutual aid which are not dependent on Government help. The Constitution (Ninety-seventh Amendment) Act, 2011 has come into force on 15th February 2012. In order to achieve the objectives of the Constitutional Amendment, the required amendments are being proposed in the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960. As a consequence, the State Act shall have the sufficient provisions to flourish every co-operative by ensuring its contribution in the economic development of the State and to serve the interest of its members and public at large and to ensure its autonomy, democratic functioning and professional management. Thus by amending the various provisions of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 in tune with the provisions contained in the Constitutional Amendment, it has been found unnecessary to maintain a parallel Act namely, the Madhya Pradesh Swayatta Sahakarita Adhiniyam, 1999 in the State. Therefore, it is proposed to repeal the said Act.

2. Hence this Bill.

GAURI SHANKAR BISEN
Member-in-Charge.

Bhopal
Dated the 6th December 2012

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.